

SSC FOUNDATION



सम्यान 1.0 बैच



CONSTITUTION

CITIZENSHIP

(नागरिकता अधिनियम 1955)

समय से तैयारी, समय से सफलता

DAILY LIVE : 12 PM

BY-PAWAN SIR



WELCOME TO



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by Prince Edutech Private Limited

Disclaimer

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by **airGurukul Institute for Career Growth**, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for **educational and informational purposes only**. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, **airGurukul** does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to **verify details from official sources before making any decisions**.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are **solely for educational illustration and fair-use academic discussion**. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. **airGurukul** shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. **Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited**.

नागरिकता / CITIZENSHIP

नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध है, जिसमें व्यक्ति को विशेष कानूनी अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि मतदान, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार। यह केवल कानूनी मान्यता ही नहीं, बल्कि किसी देश के समुदाय से सामाजिक-राजनीतिक जुड़ाव भी है। एक नागरिक के रूप में व्यक्ति को राज्य के प्रति निष्ठा और सम्मान का पालन करना होता है, जबकि राज्य नागरिक को सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी देता है।

Citizenship is a legal relationship between an individual and the state, in which the individual is granted specific legal rights and duties such as the right to vote, education, and social security. It is not merely a legal recognition but also a socio-political connection with the community of a country. As a citizen, a person is expected to maintain loyalty and respect towards the state, while the state, in return, guarantees protection and rights to the citizen.

Part II - Citizenship / नागरिकता

Articles 5 to 11 // अनुच्छेद 5 से 11

भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान (यूनाइटेड किंगडम) से ली गई है।

The concept of single citizenship in India has been adopted from the British Constitution (United Kingdom).

एकल नागरिकता के कारण भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल "भारतीय" के रूप में पहचाना जाता है, न कि किसी राज्य या विदेशी प्रदेश के नागरिक के रूप में।

The granting of Indian citizenship is primarily carried out through the Ministry of Home Affairs, which is authorized under the Citizenship Act, 1955 to confer citizenship on various grounds.

भारतीय नागरिकता का प्रदान किया जाना मुख्य रूप से केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से होता है, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकों को विभिन्न आधारों पर नागरिकता प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

जब संविधान लागू हुआ (26 जनवरी 1950), तब नागरिकता निम्न आधारों पर तय की गई –

जन्म (By Birth):

जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो और 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहा हो।

Whoever was born in India and was residing here on 26 Jan 1950.

वंश (By Descent / Parentage):

जिसके माता-पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।

Either of the parents was an Indian citizen.

निवास (By Domicile / Residence):

जो व्यक्ति भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो।

Anyone who had his domicile (permanent residence) in India.

Article- 5**Citizenship at the commencement of the Constitution**

संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

इस संविधान के प्रारंभ पर, प्रत्येक व्यक्ति जिसका अधिवास भारत के राज्यक्षेत्र में है और –

At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and

(a) who was born in the territory of India;

(b) (क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में पैदा हुआ हो; or या
प्रत्येक व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता में से कोई या जिसके सके दादा-दादी में से कोई इस संविधान में परिभाषित
भारत के राज्यक्षेत्र में पैदा हुआ था और जिसने 1 अप्रैल, 1947 के पश्चात् किसी विदेशी राज्य में अपना स्थायी निवास
नहीं बनाया है; और

**Every person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in the territory of
India as defined in this Constitution and who has not made his permanent abode in any foreign State after
the first day of April, 1947; and**

(b) either of whose parents was born in the territory of India;

(ख) जिसके माता-पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में पैदा हुआ हो; or या प्रत्येक व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी में से कोई भारत में, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 (मूल रूप से अधिनियमित) में परिभाषित है, या बर्मा, सीलोन या मलाया में पैदा हुआ था, और जिसका अधिवास इस संविधान में परिभाषित भारत के राज्यक्षेत्र में है, भारत का नागरिक होगा, बशर्ते कि उसने इस संविधान के प्रारंभ की तारीख से पहले किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं की हो।

Every person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), or in Burma, Ceylon or Malaya, and who has his domicile in the territory of India as defined in this Constitution, shall be a citizen of India, provided that he has not acquired the citizenship of any foreign State before the date of commencement of this Constitution.

(c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement,

(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा।

Article 6

Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan

पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो वर्तमान में पाकिस्तान में सम्मिलित क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में प्रव्रजन कर आया है, संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि –

(क) वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ था जैसा कि **भारत सरकार अधिनियम, 1935** (मूल रूप से अधिनियमित) में परिभाषित किया गया है; और

(ख)

(i) उस दशा में, जहां ऐसा व्यक्ति **19 जुलाई, 1948** से पूर्व इस प्रकार प्रवास कर चुका है, वह अपने प्रवास की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, या

(ii) उस दशा में, जहां ऐसा व्यक्ति **19 जुलाई, 1948** को या उसके पश्चात् इस प्रकार प्रव्रजन कर गया है, उसे भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, यदि उसने इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व ऐसे अधिकारी को उस सरकार द्वारा विहित प्ररूप और रीति से आवेदन किया हो

परन्तु कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम **6 महीने** तक भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी न रहा हो।

Notwithstanding anything in **article 5**, a person who has migrated to the territory of India from territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if-

- (a) he or either of his parents or any of his grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and
- (b)
 - (i) in the case where such person has so migrated before the 19 of July, 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or
 - (ii) in the case where such person has so migrated on or after the 19 of July, 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government:
Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least six months immediately preceding the date of his application.

Article 7

Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan
पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो 1 मार्च, 1947 के पश्चात भारत के राज्यक्षेत्र से उस राज्यक्षेत्र में प्रव्रजन कर गया है जो अब पाकिस्तान में सम्मिलित है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा:

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो अब पाकिस्तान में सम्मिलित राज्यक्षेत्र में इस प्रकार प्रव्रजन करने के पश्चात् किसी विधि द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किए गए पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के अधीन भारत के राज्यक्षेत्र में वापस आ गया है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुच्छेद 6 के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए 19 जुलाई, 1948 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र में प्रव्रजन किया हुआ समझा जाएगा।

Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the 1st of March, 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India:

Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19 of July, 1948.

Article 8

Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.
भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता में से कोई या जिसके दादा-दादी में से कोई **भारत सरकार अधिनियम, 1935** (मूल रूप में अधिनियमित) में परिभाषित भारत में पैदा हुआ था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसे उस देश में भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर किया गया है जहां वह तत्समय निवास कर रहा है, उसके द्वारा ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् भारत डोमिनियन की सरकार या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप और रीति से किए गए आवेदन पर।

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति /

Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India Origin residing
जो लोग विदेशों में रहते हैं (Indian Origin), लेकिन उनके माता-पिता या दादा भारत के निवासी रहे हैं, वे भारतीय दूतावास में रजिस्टर कराकर नागरिक बन सकते हैं।

Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or the Government of India.

Article 9

Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens
किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जाएगा

कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State.

Article 10

Continuance of the rights of citizenship
नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता

प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा नागरिक बना रहेगा।

Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

Article 11

Parliament to regulate the right of citizenship by law
संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई उपबंध करने की संसद की शक्ति का हनन नहीं करेगी।

Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

संसद को नागरिकता के सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है।
इसी के तहत Citizenship Act, 1955 बनाया गया।

CITIZENSHIP ACT 1955

नागरिकता अधिनियम :- 1955

The Citizenship Act, 1955 was enacted by the Parliament of India to provide the legal framework for the acquisition and determination of Indian citizenship after the commencement of the Constitution (26 January 1950).

नागरिकता अधिनियम, 1955 को भारतीय संसद ने पारित किया ताकि संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने और निर्धारण के लिए कानूनी ढाँचा उपलब्ध कराया जा सके।

जब संविधान लागू हुआ (26 जनवरी 1950), तब नागरिकता निम्न आधारों पर तय की गई

1.

जन्म (By Birth):

जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो और 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहा हो।

Whoever was born in India and was residing here on 26 Jan 1950.

2.

वंश (By Descent / Parentage):

जिसके माता-पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।

Either of the parents was an Indian citizen.

3.

निवास (By Domicile / Residence):

जो व्यक्ति भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो।

Anyone who had his domicile (permanent residence) in India.

Citizenship Act, 1955 (नागरिकता अधिनियम, 1955)

इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के नियम बताए गए हैं।

नागरिकता प्राप्त करने के तरीके (Modes of acquiring Citizenship):

1. By Birth (जन्म से) ✓
2. By Descent (वंश से) ✓
3. By Registration (पंजीकरण से) ✓
4. By Naturalization (स्वाभाविकरण से) - प्राकृति करण
5. By Incorporation of Territory (क्षेत्र के भारत में मिलने से) क्षेत्र अधिग्रहण

नागरिकता खोने के तरीके (Loss of Citizenship):

Renunciation (त्याग) – स्वयं नागरिकता छोड़ना।

Termination (समाप्ति) – किसी विदेशी देश की नागरिकता लेने पर।

Deprivation (वंचन) – अगर सरकार समझे कि धोखाधड़ी से नागरिकता मिली है।

26 Jan 1950

को ये तरीके

वर्णित नहीं थे संविधान

में

By Birth (जन्म से)

A person born in India becomes a citizen, subject to certain conditions depending on the year of birth.
भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति नागरिक होता है, लेकिन यह जन्म के वर्ष पर निर्भर शर्तों के साथ लागू होता है।

Conditions:

Born between 26 Jan 1950 – 1 July 1987 → Citizen by birth.

Born between 1 July 1987 – 3 Dec 2004 → Citizen if either parent is a citizen.

Born on or after 3 Dec 2004 →

Citizen only if both parents are citizens, or one parent is a citizen and the other is not an illegal migrant.

नागरिक तभी माना जाएगा जब दोनों माता-पिता नागरिक हों, या एक माता-पिता नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो।

By Descent (वंश परंपरा से)

A person born outside India on or after 26 January 1950, but before 10 December 1992, is a citizen if the father was a citizen. After 10 Dec 1992, citizenship is valid if either parent is a citizen of India

26 जनवरी 1950 से 10 दिसम्बर 1992 तक भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति तभी नागरिक होगा जब उसके पिता भारतीय नागरिक हों। 10 दिसम्बर 1992 के बाद, माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो वह नागरिक होगा।

By Registration (पंजीकरण द्वारा)

Certain categories of people (e.g., PIOs, persons married to Indian citizens, residents in India for 7 years) can apply for citizenship by registration.

कुछ श्रेणियों के लोग (जैसे – भारतीय मूल के लोग, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले, 7 वर्ष भारत में निवास करने वाले) पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

By Naturalization (नैचुरलाइज़ेशन द्वारा) - प्राकृतिकरण / स्वभावीकरण

A foreigner who is ordinarily resident in India for 12 years (during the 14 years preceding the application) can acquire citizenship through naturalization.

कोई विदेशी नागरिक जिसने आवेदन करने से पहले 14 वर्षों में से 12 वर्ष भारत में सामान्य रूप से निवास किया हो, वह नैचुरलाइज़ेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है।

By Incorporation of Territory (क्षेत्र के विलय द्वारा) - भूमि अधिग्रहण

If any new territory becomes a part of India, the Government of India specifies persons of that territory who shall become Indian citizens.

यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो भारत सरकार यह तय करती है कि उस क्षेत्र के कौन लोग भारतीय नागरिक होंगे।

उत्तर मंत्रालय

✓✓✓✓✓ Imp. ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

नागरिकता अधिनियम, 1955 में छह बार संशोधन किया गया है, जो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में हुए थे।

यह अधिनियम भारत की नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने के प्रावधानों से संबंधित है।

संशोधनों का विवरण:

- 1986: जन्म से नागरिकता के नियम को प्रतिबंधित किया, जिसमें नागरिकता के लिए माता-पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया।
- 1992: यह संशोधन इसी प्रतिबंध को मजबूत करता है।
- 2003: यह उल्लेख करता है कि माता-पिता अवैध अप्रवासी नहीं हो सकते हैं, और नागरिकता के लिए कुछ प्रतिबंध जोड़े गए।
- 2005: इस संशोधन में भी कुछ प्रावधान जोड़े गए।
- 2015: इस संशोधन ने भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) कार्ड योजना और प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) कार्ड योजना को मिलाकर एक नई "विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक" योजना शुरू की।
- 2019: इस संशोधन के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए त्वरित मार्ग दिया गया।

Citizenship (Amendment) Act, 1986

मूल Citizenship Act, 1955 की धारा 3 (Citizenship by Birth) के अनुसार –
भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता था, चाहे उसके माता-पिता की नागरिकता कुछ भी हो।
लेकिन धीरे-धीरे अवैध प्रवासियों (Illegal migrants) की समस्या सामने आई, खासकर बांग्लादेश से आए प्रवासियों की।
इससे भारत की जनसांख्यिकी (demography) और सुरक्षा चिंताओं पर असर पड़ा।
इसी कारण 1986 का संशोधन लाया गया।

New Rule after 1986 Amendment:

A person born in India on or after 26 January 1950 but before 1 July 1987 → Citizen of India by birth (no condition).

A person born in India on or after 1 July 1987 → Will be citizen only if either parent is an Indian citizen at the time of birth.

26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति → स्वतः नागरिक।

1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति → तभी नागरिक होगा जब माता या पिता में से कोई एक उस समय भारतीय नागरिक हो।

Citizenship (Amendment) Act, 1992

- मूल Citizenship Act, 1955 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा होता है तो उसे केवल तभी भारतीय नागरिकता मिलेगी जब उसके पिता भारतीय नागरिक हों।
- इसमें माता (mother) की नागरिकता को महत्व नहीं दिया गया था।
- यह स्थिति लैंगिक असमानता (gender inequality) मानी गई।
- इसलिए 1992 में संशोधन कर इस कमी को दूर किया गया।

New Rule after 1992 :

After the amendment, either parent (father or mother) being an Indian citizen was sufficient for a child born outside India to claim Indian citizenship.

संशोधन के बाद, यदि माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो भारत के बाहर जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक माना जाएगा।

Citizenship (Amendment) Act, 2003 – Illegal Migrants Concept

Definition of Illegal Migrant (अवैध प्रवासी की परिभाषा)

According to the 2003 Amendment, an illegal migrant is a foreigner who:

Enters India without valid passport, travel documents, or other prescribed authority.

Enters India with valid documents but overstays the permitted time.

2003 संशोधन के अनुसार, अवैध प्रवासी वह विदेशी है जो –
वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज़ या कानूनी अनुमति के बिना भारत में प्रवेश करता है।
वैध दस्तावेज़ों के साथ भारत में आता है, लेकिन तय समय सीमा से अधिक रुक जाता है।

Major Provisions of 2003 Amendment

- अवैध प्रवासी भारत की नागरिकता पंजीकरण या नैचुरलाइज़ेशन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता।
- सरकार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अधिकार दिया।
- सरकार को अवैध प्रवासियों को पहचानने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार दिया गया।
- इसी संशोधन में भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) के लिए ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) की अवधारणा शुरू की गई।

OCI (Overseas Citizen of India) / भारतीय प्रवासी नागरिक

OCI एक विशेष प्रकार का "गैर-निवासी भारतीय" दर्जा है, जिसे भारत सरकार उन भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को देती है, जिन्होंने किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, लेकिन वे भारत से अपना सांस्कृतिक, पारिवारिक या ऐतिहासिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं।

Rights of OCI Holders

- भारत में life-long visa (आजीवन वीजा) से प्रवेश का अधिकार।
- भारत में किसी भी समय रहने और काम करने का अधिकार।
- आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों के समान अधिकार।

Who is Eligible?

- कोई भी व्यक्ति जिसके पूर्वज (parents, grandparents, great-grandparents) भारत में पैदा हुए थे और जिसने पाकिस्तान या बांग्लादेश की नागरिकता नहीं ली है।
- भारतीय मूल का विदेशी नागरिक।

Restrictions

OCI धारक भारत का नागरिक नहीं होता।

उसे मतदान का अधिकार, संविधानिक पद (जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधायक, सांसद आदि) पर बैठने का अधिकार नहीं होता।

OCI धारक कृषि भूमि या फार्म हाउस नहीं खरीद सकता।

PIO (भारतीय मूल का व्यक्ति) – Person of Indian Origin

PIO वह व्यक्ति है जो भारतीय मूल (Indian origin) का है लेकिन विदेशी नागरिकता (foreign citizenship) रखता है और कभी भारतीय नागरिक रहा है या जिसके पूर्वज भारत में जन्मे थे।

Who was considered PIO?:

वह व्यक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी भारत में जन्मे हों।
जो कभी भारतीय नागरिक रहा हो, लेकिन बाद में उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली हो।
चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका को छोड़कर अन्य सभी – PIO में

Rights of PIO card holders:

भारत में 15 साल के लिए वीजा-फ्री यात्रा की सुविधा।
भारत में 180 दिनों तक रहने की अनुमति (इसके बाद FRRO में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था)।
भारत में संपत्ति (agricultural land को छोड़कर) खरीदने की अनुमति।
आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों जैसी कई सुविधाएँ।

Restrictions:

मतदान का अधिकार नहीं।
संवैधानिक पदों (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक आदि) पर नियुक्ति का अधिकार नहीं।
कृषि भूमि नहीं खरीद सकते थे।

Citizenship (Amendment) Act, 2005

Overseas Citizen of India (OCI) introduced
विदेश में रहने वाले भारतीयों को OCI का दर्जा

Citizenship (Amendment) Act, 2015

Merged PIO and OCI into a single category
called Overseas Citizen of India (OCI)
PIO और OCI को मिलाकर एक श्रेणी बनाई गई

Citizenship (Amendment) Act, 2019
CAB / CAA

भारत का मूल कानून: Citizenship Act, 1955

- 2003 Amendment में Illegal Migrants (अवैध प्रवासी) की परिभाषा जोड़ी गई थी और उन्हें नागरिकता पाने से वंचित किया गया।
- लेकिन पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न (religious persecution) झेलकर आए अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी।
- इसी संदर्भ में 2019 में CAA लाया गया।

Key Provisions of CAA, 2019 (मुख्य प्रावधान)

- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसम्बर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
- इन देशों से आए मुसलमानों को इस अधिनियम के तहत नागरिकता की पात्रता नहीं है।
- सामान्यतः नागरिकता पाने के लिए भारत में 12 वर्ष निवास करना आवश्यक था, लेकिन CAA के तहत चुने गए समुदायों के लिए यह अवधि घटाकर 5 वर्ष कर दी गई।
- इन धार्मिक अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- यह अधिनियम लागू नहीं होगा –
असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र (षष्ठ अनुसूची)।
इनर लाइन परमिट (ILP) वाले राज्य – अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर।

आलोचकों का कहना है कि मुसलमानों को बाहर करना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है।

Nationwide protests (जैसे – शाहीन बाग आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत में हिंसक प्रदर्शन)।

Key Provisions of CAA, 2019

- ❑ The Act allows citizenship to **Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, and Christians** from **Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan**, who entered India **on or before 31 December 2014**.
- ❑ Muslims from these countries are **not eligible** under this Act.
- ❑ Normally, for naturalization, a foreigner needs **12 years of residence** in India. Under CAA, this is reduced to **5 years** for the above communities.
- ❑ These minority communities will **not be treated as illegal migrants** under the Citizenship Act.
- ❑ The Act does not apply to:
 - Tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, and Tripura (as included in Sixth Schedule).
 - Inner Line Permit (ILP) areas – Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, and Manipur.

THANK YOU



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth
www.airgurukul.com

Follow Us |       

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

